

11.06.2025

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी

उपस्थित। मूल वादपत्र का अंतिम निस्तारण हो जाने से

प्रार्थना पत्र टी.आई. को आगे चलाने का कोई औचित्य

प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

को आगे नहीं चलाकर इसी स्तर पर खारीज किया जाता

है। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील दाखिल

दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)

सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)

श्रीमाधोपुर (सीकर)

